मोबाईल नंबर

अधिवक्ता

[का]र्यालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

1/25/2022 तारीख रजू......................

अजयसिंह वगैरा बनाम तहसीलदार कठूमर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31/1/22	वकील वादी उपस्थित। आज यह दावा वादी के वकील श्री [illegible]सिंह एड० ने पेश किया। कार्यालय रिपोर्ट की गई दावा दर्ज पंजिका हो प्रतिवादी [illegible] जरिये समन व रजि० डाक के तलब होकर पत्रावली वास्ते तलबी प्रति० दिनांक 10/2/22 को पेश हो। SDO K	DM 137 31/1/22
10/2/22	वकील वादी .... उपस्थित। तामिल आदेश दिनांक 31/1/22 की पालना में पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 8/4/22 को पेश हो। [signature] पीठासीन अधिकारी	D.No. 212 8/2/22
8/4/22	कारण अवकाश P.O. [illegible] पत्रावली दिनांक 12/5/22 को पेश हो। [signature]	
12/5/22	वकील वादी .... उपस्थित। तामिल आदेश दिनांक .... की पालना में पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 6/5/22 को पेश हो। [signature] पीठासीन अधिकारी	
6/5/22	पत्रावली पेश हुई सरकार पैरोकार की ओर से जवाब प्रस्तुत किया। [illegible] पत्रावली वास्ते तलबीयात दिनांक 20/5/22 को पेश हो। SDO K	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
28/10/24	वकील / सरकार पैनल उपस्थित। लोक अदालत कायम की गई। पत्रावली वास्ते आदेशार्थ दिनांक 18/11/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०	
18/11/24	वकील उपस्थित वादी। सरकार पैनल लॉयर बहस नहीं करना चाहते हैं। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम दिनांक 28/11/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०	[illegible] [illegible]
28/11/24	वकील उपस्थित बहस वादी। सरकार पैनल लॉयर सुनी गई। दौरान बहस वादी ने संबंधित ग्राम पंचायत की ओर से [illegible] पर [illegible] / NOC ग्राम पंचायत प्रस्तुत किया जिसमें देवीसिंह कोई व्यक्ति नहीं होने का हवाला दिया गया है। [illegible] हमने विद्वान अधिवक्ता वादीगण व पैनल लॉयर सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली को उपलब्ध राजस्व रेकार्ड पत्रादि का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस के दौरान दावे में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया व उन पर मनन किया गया। अतः दावा वादीगण साबित होने से डिक्री योग्य पाया जाता है अतः दावा वादीगण साबित होने से डिक्री किया जाता है। [illegible] के [illegible] खारिज किया जाता। तदनुसार पक्षों डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] के नाम से [illegible] जिला [illegible] [illegible] की [illegible] उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री लाखनसिंह गुर्जर आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 01/25/2022

वउनवान

1. अजयसिंह पुत्र देवीसिह जाति जाट निवासी बायडा
2. गजेन्द्रसिंह पुत्र देवीसिंह जाति जाट निवासी बायडा
3. सतवीर पुत्र देवीसिंह जाति जाट निवासी बायडा

तहसील कठूमर जिला अलवर

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहव कठूमर जिला अलवर

प्रतिवादी

दावा इस्तकरारहक

उपस्थितः—

श्री बनयसिंह चौधरीएडवोकेट— अधिवक्ता वादीगण

निर्णय दिनांक 28.11.2022

वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 151—65—80 ग्राम बायडा तहसील कठूमर में स्थित है। जो आराजी वादीगण के दादा रामसहाय की पैदा कर्दा आराजी है। वादीगण के दादा रामसहाय के फौत हो जाने पर उनका विरासत इन्तकाल संख्या 7 वाके ग्राम बायडा वादीगण के पिता को विना सुने विना वुलाये इन्तकाल में पटवारी हल्का ने नाम की सही जानकारी किये विना देवीसिंह के स्थान पर देवीसहाय दर्ज कर दिया। जवकि वादीगण के पिता का नाम देवीसहाय है। वादीगण के पिता का स्वर्गवास हो जाने पर पटवारी हल्का ने

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

विरासत इन्तकाल खोलते समय वादीगण के पिता का नाम देवीसिह के स्थान पर देवीसहाय राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर दिया। प्रतिवादी ने उक्त दोशपूर्ण इन्तकाल को वादीगण को विना सुनाये विना वुलाये विना नोटिस दिये खिलाफ कनून व खिलाफ मौका वादीगण से उनके पहचान के दस्तावेज लिये ही स्वीकार कर दिया। जो इन्तकाल गलत है। जवकि वादीगण के शैक्षणिक दस्तावेजात व ग्राम बायडा के अन्य खसरा नम्बरान में वादीगण के पिता का नाम देवीसहाय ही दर्ज है। वादीगण के मृत्यु प्रमाण पत्र में देवीसिंह पुत्र रामसहाय दर्ज है।वादीगण दिनांक 20.01.2020 को अपने पहचान के दस्तावेज लेकर उक्त आराजी वाक्त केडिट कार्ड की फाइल बनवाने पटवारी हल्का के पास गये तो पटवारी हल्का ने पहचान के दस्तावेज देखकर कहा कि आपके पिता का नाम आधार कार्ड में देवीसिंह दर्ज है तथा उक्त आराजी पर तुम्हारे पिता का नाम देवीसहाय दर्ज है। तव उक्त गलत इन्द्राज की वादीगण को जानकारी हुई। तव वादीगण ने अपने आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज लेकर हाल राजस्व रेकार्ड में अपने पिता का नाम देवीसहाय के स्थान पर देवीसिंह दर्ज करनेको कहा तो प्रतिवादी व उसके मातहत कर्मचारियों ने मना कर दिया। हाल राजस्व रेार्ड में विवादित आराजी वावत वादीगण के पिता का नाम देवीसिंह के स्थान पर देवीसहाय दर्ज रहने से वादीगण के हक हकूको पर विपरीत असर पड रहा है। तव वादीगण ने कानूनन अपने अधिवक्ता के जरिये प्रतिवादी को धारा 80 जा0दी0 का नोटिस मियादी 60 दिवस जरिये रजिस्टर्ड लेटर मय ए डी भिजवाया लेकिन प्रतिवादीगण ने वादीगण के पिता का नाम दुरूस्त नहीं किया। इस वजह से वादीगण ने विवादित आराजी वावत अपने पिता का नाम देवीसहाय के स्थान पर देवीसिंह घोशित कराने के लिये दावा अदालत श्रीमान में पेश किया है जो मुताविक अनुतोश डिक्री कर दिया जावे।

दावादर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से पैरोकार सरकार ने हाजिर अदालत होकर अपना जवाव दावा पेश कर कथन किया कि पटवारी हल्का ने इन्तकाल में वादीगण के पिता के बताने पर पिता का नाम देवीसहाय सही दर्ज किया है। ग्राम बायडा की अन्य जमीन व वादीगण के शैक्षणिक दस्तावेज व मृत्यु प्रमाण पत्र में वादीगण के पिता का नाम देवीसिंह दर्ज है। विवादित आराजी वावत वादीगण के पिता का नाम देवीसिंह पुत्र रामसहाय दर्ज किये जाने से राज्यहित प्रभावित नहीं होते है।

उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली (जयपुर) राज0

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में कानूनी नोटिस, पोस्टल रसीद, जमाबन्दी वाके ग्राम तिगरिया, जमाबन्दी वाके ग्राम बायडा नकल इन्तकाल संख्या 07 अंक तालिका, आधारकार्ड राशनकार्ड, जमाबन्दी सवत् 2053 से 2056 व नकल इन्तकाल संख्या 114 वाके ग्राम बायड पेश किये है जो पत्रावली के साथ संलग्न है।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादीगण व पेरोकार सरकार की वहस सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकार्ड पत्रादि का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने अपनी वहस में मुख्य रूप से अपने दावा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वादीगण के पिता का नाम देवीसहाय न होकर देवीसिंह है जो वादीगण द्वारा पत्रावली पर पेश किये दस्तावेजात से सावित है। अतः हाल राजस्व रेकार्ड में वादीगण के पिता का नाम देवीसहाय से देवीसिंह किया जावे। दौराने वहस वादीगण के अधिवक्ता ने 50 रूपया के स्थान पर वादीगण का शपथ पत्र कार्यालय ग्राम पंचायत तिगरिया द्वारा जारी प्रमाण पत्र क्रमांक 02 दिनांक 12.09.2022 पेश किये है जो शामिल पत्रावली है। पैरोकार सरकार ने अपने जवाव में ऐसी दुरूस्ती से राज्यहित प्रभावित नहीं होना जाहिर किया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र में वादीगण के पिता का नाम देवीसिंह दर्ज है तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात में वादीगण के पिता का नाम देवीसिंह दर्ज है। वादीगण ने शपथ पत्र पेश कर अपने पिता का नाम देवीसहाय न होकर देवीसिंह होना कथन किया है तथा ग्राम पंचायत तिगरिया द्वारा जारी पत्र में ग्राम पंचायत ने वादीगण के पिता का नाम देवीसिंह होना जाहिर किया है। हाल जमाबन्दी खसरा नम्बर 157–64 में वादीगण के पिता का नाम देवीसिंह दर्ज है। जमाबन्दी सवत् 2045 से 2048 में विवादित आराजी वावत देवीसिंह पिता रामसहाय की खातेदारी दर्ज है। इन्तकाल संख्या 114 वाके ग्राम बायडा में सजरा में वादी के पिता का नाम देवीसिह दर्ज है। प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड पत्रादि के अवलोकन से वादीगण के पिता का नाम देवीसहाय न होकर देवीसिंह ही है। प्रतिवादी ने वादीगण के पिता का नाम देवीसहाय के स्थान पर देवीसिंह विना सुने विना नोटिस दिये व विना पहचान के दस्तावेज लिये ही दर्ज किया जाना प्रतीत होता है। अतः दावा वादीगण सावित होने से डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है।

आदेश

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

अतः दावा वादीगण सावित होने से डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 151–65–80 ग्राम बायडा तहसील कठूमर पर वादीगण के पिता का नाम देवीसहाय के स्थान पर देवीसिंह दर्ज करने के आदेश तहसीलदार कठूमर को दिये जाते है। तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार हाल राजस्व रेकार्ड में संशोधित इन्द्राज दर्ज करे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तार हो।

लाखनसिंह गुर्जर
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 28.11.2022 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

लाखनसिंह गुर्जर
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पर्चा डिक्री

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री लाखनसिंह गुर्जर आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 01/25/2022

वउनवान

1. अजयसिंह पुत्र देवीसिह जाति जाट निवासी बायडा
2. गजेन्द्रसिंह पुत्र देवीसिंह जाति जाट निवासी बायडा
3. सतवीर पुत्र देवीसिंह जाति जाट निवासी बायडा

तहसील कठूमर जिला अलवर

डिक्रीदार

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कठूमर जिला अलवर

मदयून

दावा इस्तकरारहक

अतः दावा वादीगण सावित होने से डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 151–65–80 ग्राम बायडा तहसील कठूमर पर वादीगण के पिता का नाम देवीसहाय के स्थान पर देवीसिंह दर्ज करने के आदेश तहसीलदार कठूमर को दिये जाते है। तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार हाल राजस्व रेकार्ड में संशोधित इन्द्राज दर्ज करे।

आज दिनांक 28.11.2022 को यह पर्चा डिक्री मे हस्ताक्षर व न्यायालय सील से जारी की गई।

लाखनसिंह गुर्जर

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज.